ये नफरत हमें कहां ले जाएगी ?

अल्पसंख्यकों को डराने-धमकाने की बढ़ती घटनाएं

राम पुनियानी

पिछले कुछ महीनों में देश में कई ऐसी घिनौनी घटनाएं हुई हैं जिनसे यह पता चलता है कि हमारे समाज में नफरत का ज़हर किस हद तक घुल चुका है, और यह भी कि यह नफरत दिन-दोगुनी रात-चौगुनी गति से बढ़ती जा रही है। उत्तरप्रदेश में कंडक्टर मोहित यादव ने बस थोड़ी देर के लिए रुकवा दी क्योंकि कुछ लोग लघुशंका निवारण करते चाहते थे और कुछ नमाज़ पढना चाहते थे। नमाज़ पढ़ते हुए यात्रियों का वीडियो बना लिया गया। यादव और बस के ड्राईवर के खिलाफ शिकायत हुई और दोनों को निलंबित कर दिया गया। कुछ दिन बाद यादव ने आत्महत्या कर ली।

उत्तरप्रदेश में ही एक प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका तृप्त त्यागी ने होमवर्क न करने के कारण एक मुस्लिम बच्चे को क्लास में खड़ा किया और फिर दूसरे बच्चों से कहा कि वे सब उसे एक-एक तमाचा मारें। अध्यापिका ने यह भी कहा कि मुस्लिम लड़कों को स्कूल छोड़ देना चाहिए। एक अन्य अध्यापिका मंजुला देवी ने दो मुस्लिम विद्यार्थियों जो आपस में लड़ रहे थे से कहा कि यह उनका देश नहीं है। कुछ स्कूलों से ऐसी खबरें मिलीं हैं कि हिन्दू बच्चे अपने मुस्लिम सहपाठियों को अपने साथ नहीं खिलाते।

'प्रजातंत्र की जननी' भारत की संसद में हाल में इससे भी ज्यादा घृणास्पद घटनाक्रम हुआ। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सदस्य दानिश अली को मुल्ला, आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, दलाल और कटुआ कहा। इस मुद्दे पर भाजपा ने केवल अनमने भाव से खेद जताया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिधूड़ी को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इस तरह की हेट स्पीच फिर दी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दानिश अली ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर हेट स्पीच देने और उन्हें अपमानित करने के लिए बिधूड़ी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। वहीं कई भाजपा सांसद और नेता अपने साथी के बचाव में आगे आए हैं और उन्होंने दानिश अली पर बिधूड़ी को भड़काने का आरोप लगाया है। मुख़्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दानिश अली ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए यह सारा नाटक किया है। यह महत्वपूर्ण है कि जिस समय बिधूड़ी अपना ज़हरबुझा भाषण दे रहे थे उस समय दो पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे।

संसद में जो हुआ वह नफरत की राजनीति का चरमोत्कर्ष था। इस प्रकृति की जितनी घटनाएं हो रही हैं उनमें से बहुत कम सामने आ रही हैं। कोई भी संवेदनशील नज़र आसानी से पढ़ सकती हैं कि मुस्लिम समुदाय में किस कदर डर, असुरक्षा और रोष का भाव व्याप्त है। मुसलमान हाशिये पर ढकेल दिए गए हैं और वे कुंठित और असहाय महसूस कर रहे हैं। दलितों, महिलाओं और आदिवासियों की आर्थिक बदहाली उनका दमन और अपमान और उनके खिलाफ हिंसा भी उतनी ही डरावनी है और यह सब बहुसंख्यकवादी राजनीति के परवान चढ़ने का नतीजा है।

क्या नफरत हमारे समाज के लिए नई चीज़ है? बिलकुल नहीं। मुस्लिम और हिन्दू सांप्रदायिक धाराएं अपने जन्म के बाद से ही 'दूसरे' समुदाय के खिलाफ नफरत को हवा देती आईं हैं। इसी से देश में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुई। औपनिवेशिक काल में जिस तरह की सांप्रदायिक हिंसा हुई वह उसके पहले राजे-रजवाड़ों की काल में होनी वाली शिया-सुन्नी या शैव-वैष्णव पंथिक हिंसा से बहुत अलग थी। आज जहां पाकिस्तान हिन्दुओं और ईसाइयों के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत से उबल रहा है वहीं भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है।

धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत का आख्यान सांप्रदायिक संगठनों ने गढ़ा और मीडिया ने उसे गहराई और व्यापकता दी। हमारे नेताओं को मीडिया की इस भूमिका का काफी पहले से अहसास था। स्वामी श्रद्धानन्द की अब्दुल रशीद द्वारा हत्या की खुलकर निंदा करते हुए महात्मा गांधी ने अपने पाठकों का ध्यान अख़बारों की भूमिका की ओर दिलाया। 'यंग इंडिया' के 30 दिसंबर 1926 के अंक में "श्रद्धानंदजी-द मारटेयर" शीर्षक से प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और समाज में नफरत और हिंसा का प्रसार करने में अखबारों की भूमिका के बारे में लिखा।

हिंसा का ज़हर फैलाने में प्रमुख सांप्रदायिक संगठन आरएसएस की भूमिका का खुलासा करते हुए तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने आरएसएस के मुखिया गोलवलकर को लिखी एक चिट्ठी में कहा था "उनके (आरएसएस) सभी भाषण सांप्रदायिक ज़हर से भरे रहते थे। हिन्दुओं को उत्साहित करने के लिए या उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए संगठित करने के लिए यह ज़हर फैलाने की ज़रुरत नहीं थी। इसी ज़हर के अंतिम नतीजे में देश को गांधीजी की अमूल्य ज़िन्दगी का बलिदान देखना पड़ा।"

आज भी नफरत का स्त्रोत वही संगठन है जिसकी सरदार पटेल बात कर रहे हैं। इस नफरत को आरएसएस के विभिन्न अनुषांगिक संगठन बढ़ा रहे हैं। इस काम में कॉर्पोरेट-नियंत्रित गोदी मीडिया की भूमिका कम नहीं है। गोदी मीडिया सरकार के आगे नतमस्तक है और विपक्ष और सत्ताधारी दल के आलोचकों पर हमलावर है। सभी प्रमुख टीवी नेटवर्क कॉर्पोरेट घरानों ने खरीद लिए हैं और ये घराने सत्ताधारी दल के नज़दीक हैं। हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लक्ष्य को लेकर चल रही भाजपा ने एक सोशल मीडिया सेल खोला है और नफरत के अपने सन्देश को फैलाने के लिए लाखों व्हाट्सएप ग्रुप बनाये हैं।

आश्चर्य नहीं कि इन हालातों में इंडिया गठबंधन को मजबूर होकर यह निर्णय लेना पड़ा कि उसके प्रवक्ता अलग-अलग चैनलों के 14 एंकरों की मेजबानी वाले टॉक शो में हिस्सा नहीं लेंगे। अपने आकाओं को खुश करने की होड़ में ये एंकर विपक्षी पार्टियों और अल्पसंख्यक समुदायों पर कीचड़ उछालने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देत। वे पत्रकारिता की इस मूल सिद्धांत को भूल चुके हैं कि पत्रकारों को निष्पक्ष होना चाहिए और उनमें यह साहस होना चाहिए कि वे शक्तिशाली सत्ताधारियों के मुंह पर बेबाकी से सच बोल सकें।

हमारा गणतंत्र एक गंभीर संकट के दौर से गुज़र रहा है। प्रजातंत्र की उच्चतम संस्था से नफरत फैलाई जा रही ह। इसका हमारे सामाजिक जीवन, हमारे संवैधानिक मूल्यों और देश के लोगों के बीच भाईचारे पर क्या असर पड़ेगा? जिस बेशर्मी से रमेश बिधूड़ी का बचाव किया जा रहा है उससे साफ़ है कि उन्हें उनके शीर्ष नेताओं का वरदहस्त हासिल है। हेट स्पीच को रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है और न ही नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही हो रही है। धर्मसंसदों के आयोजक और यति नरसिंहानंद जैसे लोग नफरत की दुकानें चला रहे हैं।

नरसंहार से जुड़े मसलों के अध्येता प्रोफेसर ग्रेगोरी स्टेंटन ने रवांडा के रेडियो के प्रसारणों को सुन कर यह भविष्यवाणी की थी कि वहां नरसंहार होगा। और 1994 में वही हुआ। उनके अनुसार, भारत में नरसंहार होने की सम्भावना एक से दस के स्केल पर आठ है। देश में जिस तरह की भयावह घटनाएं हो रहीं हैं क्या उनकी निंदा करना, उन पर टिपण्णी करना ही पर्याप्त है? क्या हम मूकदर्शक बने रह सकते हैं? क्या संपूर्ण विपक्ष एक स्वर में हेट स्पीच की खिलाफत नहीं कर सकता? क्या भारत के संविधान के मूल्यों में यकीन रखने वाले राजनैतिक दल, सामाजिक संगठन और मानवाधिकार समूह, देश में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं कर सकते? यह सब जल्द से जल्द होना चाहिए. पहले ही बहुत देर हो चुकी है।

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया; लेखक आईआईटी मुंबई में पढ़ाते थे और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं)

न्यूज़क्लिक को मिला एक-एक पैसा जायज और कानूनी : पोर्टल का आधिकारिक बयान

नई दिल्ली। कल सुबह से अभी तक न्यूज़क्लिक को लेकर जो भी जानकारी प्राप्त हो रही थी उसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कार्यवाही और सोशल मीडिया सहित प्रेस की आजादी की हिमायत करने वाले लोगों की प्रतिक्रिया ही प्राप्त हो सकी थी। न्यूज़क्लिक से सम्बद्ध पत्रकार और एंकर अभिसार शर्मा ने अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल से कुछ जरुरी सवालों का जवाब दिया था लेकिन अब न्यूज़क्लिक ने आधिकारिक रूप से जो जानकारी सार्वजनिक की है, उसे हम यहां पर अक्षरशः पेश कर रहे हैं:-

हमें एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है और न हमें कथित अपराधों के सटीक विवरण के बारे में सूचित किया गया है। बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए न्यूज़क्लिक परिसर और कर्मचारियों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ज़ब्त कर लिया गया है।

3 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा न्यूज़क्लिक के कार्यालयों, पत्रकारों और कर्मचारियों के आवासों- पूर्व और वर्तमान, सलाहकारों और न्यूज़क्लिक से जुड़े फ्रीलांस योगदानकर्ताओं सहित विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए।

कई लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ जारी है। फिलहाल, हमारे संस्थापक-संपादक 76 वर्षीय प्रबीर पुरकायस्थ और हमारे प्रशासनिक अधिकारी अमित चक्रवर्ती, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं को गिरफ्तार कर लिया गया है।

हमें एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है और न हमें उन अपराधों के सटीक विवरण के बारे में सूचित नहीं किया गया है जिनके लिए हम पर आरोप लगाए गए हैं। बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए जैसे कि जब्ती मेमो (seizure memos) का प्रावधान, जब्त किए गए डेटा के हैश मान (hash values) यहां तक कि डेटा की प्रतियां आदि के बिना न्यूज़क्लिक परिसर और कर्मचारियों के घरों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया। हमें अपनी रिपोर्टिंग जारी रखने से रोकने के एक ज़बरदस्त प्रयास में न्यूज़क्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया गया है।

हम जो बता पाने में सक्षम हैं वह यह है कि न्यूज़क्लिक पर अपनी वेबसाइट पर कथित तौर पर चीनी प्रचार करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। हम ऐसी सरकार के इन कार्यों की कड़ी निंदा करते हैं जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता का सम्मान करने से इनकार करती है और आलोचना को देशद्रोह या "राष्ट्रविरोधी" प्रचार मानती है।

न्यूज़क्लिक को 2021 से भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्रवाइयों की एक श्रृंखला द्वारा लक्षित किया गया है। इसके कार्यालयों और अधिकारियों के आवासों पर प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गए हैं।

पहले भी सभी उपकरण, लैपटॉप, गैजेट, फोन आदि जब्त कर लिए गए थे। सभी ईमेल और संचार का बारीकी से

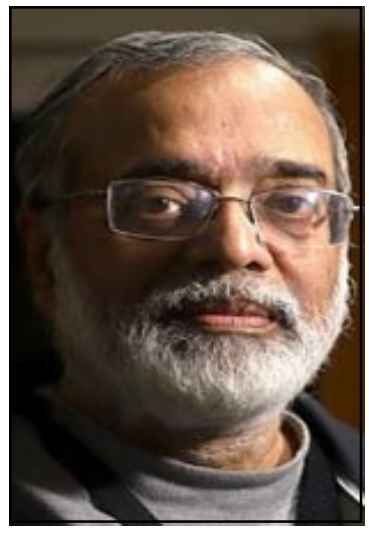

कई लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ जारी है। फिलहाल, हमारे संस्थापक-संपादक 76 वर्षीय प्रबीर पुरकायस्थ और हमारे प्रशासनिक अधिकारी अमित चक्रवर्ती, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विश्लेषण किया गया। पिछले कई वर्षों में न्यूज़क्लिक द्वारा प्राप्त सभी बैंक विवरण, चालान, किए गए खर्च और प्राप्त धन के स्रोतों की समय-समय पर सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच की गई है। विभिन्न निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने कई अवसरों पर इन सरकारी एजेंसियों द्वारा पूछताछ में अनगिनत घंटे बिताए हैं।

फिर भी, पिछले दो से अधिक वर्षों में, प्रवर्तन निदेशालय न्यूज़क्लिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज नहीं कर पाया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध के लिए न्यूज़क्लिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं कर पाई है। आयकर विभाग अदालतों के समक्ष अपने कार्यों का बचाव करने में सक्षम नहीं है। पिछले कई महीनों में प्रबीर पुरकायस्थ को इनमें से किसी भी एजेंसी ने पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया है। फिर भी, एक ऐसी सरकार जो सारी जानकारी दस्तावेज और संचार के कब्जे में होने के बावजूद न्यूज़क्लिक के खिलाफ किसी भी आरोप को साबित करने में सक्षम नहीं है, उसे कठोर यूएपीए को लागू करने और न्यूज़क्लिक को बंद करने का प्रयास करने के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित फर्जी लेख की आवश्यकता थी और उन स्वतंत्र और निडर आवाज़ों को दबा दिया जाता है जो असली भारत की कहानी प्रस्तुत करती हैं। जैसे किसानों की, मज़दूरों की और समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों की।

हम रिकॉर्ड के लिए बताना चाहते हैं:

1. न्यूज़क्लिक एक स्वतंत्र समाचार वेबसाइट है।
2. हमारी पत्रकारिता सामग्री पेशे के उच्चतम मानकों पर आधारित है।
3. न्यूज़क्लिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीनी इकाई या प्राधिकारी के आदेश पर कोई समाचार या जानकारी प्रकाशित नहीं करता है।
4. न्यूज़क्लिक अपनी वेबसाइट पर चीन के किसी प्रोपेगेंडा का प्रचार नहीं करता है।
5. न्यूज़क्लिक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री के संबंध में नेविल रॉय सिंघम से निर्देश नहीं लेता है।
6. न्यूज़क्लिक को प्राप्त सभी फंडिंग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से की गई है और कानून द्वारा अपेक्षित संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रमाणित किया गया है।

न्यूज़क्लिक वेबसाइट पर अब तक प्रकाशित सभी पत्रकारिता सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध है और इसे कोई भी देख सकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक भी लेख या वीडियो का जिक्र नहीं किया है जिसे वे चीनी प्रचार मानते हैं। दरअसल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा अपनाई गई पूछताछ की शैली दिल्ली दंगों, किसानों के विरोध प्रदर्शन आदि पर रिपोर्ट के संबंध में, सभी वर्तमान कार्यवाही के पीछे प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण इरादे को प्रदर्शित करती है।

हमें न्यायालयों और न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हम भारत के संविधान के अनुसार अपनी पत्रकारिता की स्वतंत्रता और अपने जीवन के लिए लड़ेंगे।

(रविंद्र पटवाल जनचौक की संपादकीय टीम के सदस्य हैं।)

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421